(13)

माननीय न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मंडल केन्द्र ग्वालियर

प्रकरण क्र. /15 निगरानी

पंकज उर्फ पप्पु चौधरी पिता पारसमलजी जैन, आयु 40 वर्ष, निवासी–नलखेडा, जिला आगर मालवा, म.प्र. .....आवेदक

विरूद्ध

1. सत्यनारायण पिता बालचंद
2. विष्णुप्रसाद पिता बालचंद

निवासीगण–ग्राम पिलवास, तहसील नलखेडा, जिला आगर मालवा, म.प्र.

3. पीरूलाल पिता जगन्नाथ, निवासी–ग्राम धरोला, तहसील नलखेडा, जिला आगर मालवा, म.प्र. .....अनावेदकगण

पुर्नरिक्षण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय, नलखेडा, जिला आगर के प्रकरण क्र. 87/अ–6/2014–15 में आदेश दिनांक 26.06.2015 के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत हैं।

माननीय महोदय,

आवेदक की और से निम्नलिखित निगरानी सादर प्रस्तुत है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

01. यह कि, उपरोक्त प्रकरण अनावेदक क्र. 1 व 2 ने अनावेदक क्र. 3 के विरूद्ध अधीनस्थ तहसील न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि, भूमि सर्वे नंबर बंदोबस्त पूर्व 917/2 रकबा 0.418 हे. में से रकबा 0.016

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 3144–तीन/2015 जिला आगर

पंकज विरूद्ध सत्यनारायण आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01–10–2015	आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत तहसीलदार नलखेडा जिला आगर के प्रकरण कमांक 87/अ–6/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 20–6–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ प्रकरण में संलग्न तहसीलदार के आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष नामांतरण प्रस्तुत नामांतरण प्रकरण में अनावेदक द्वारा जबाव प्रस्तुत नहीं करने एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का जबाव भी प्रस्तुत नहीं करने से तहसीलदार ने उभय पक्ष को अंतिम अवसर दिया है। इसके अतिरिक्त आवेदक की ओर से संबंधित भूमि पर निर्माण कार्य अनावेदक द्वारा किया जाने बावत आवेदन पर तहसीलदार ने उभय पक्ष को अंतिम निर्णय तक भूमि पर कोई निर्माण कार्य न करने के आदेश दिये हैं। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है। इसके अतिरिक्त आवेदक ने तर्क में दिनांक 19–6–1995 को भूमि कय करना बताया है तथा विकय पत्र में विधित स्टाम्प संलग्न नहीं होने के कारण विकय पत्र	

की प्रति उपपंजीयक से प्राप्त नहीं हो सकी इस कारण राजस्व अभिलेख में नामान्तरण नहीं हो सका व अब विकय पत्र प्राप्त होने जाने के पश्चात कार्यवाही किये जाने का तर्क किया है। आवेदक तहसील न्यायालय में पक्षकार नहीं है। आवेदक को न्यायालय की कार्यवाही में भाग लेने के लिए सर्वप्रथम विधिवत पक्षकार बनाये जाने बावत आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए तत्पश्चात अपना पक्ष एवं दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहिए। समक्ष न्यायालय में उपरोक्त कार्यवाही न कर वरिष्ठ न्यायालय में अधीनस्थ न्यायालय के किसी आदेश को चुनौती देना विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य